RL-5570
11-10-10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : ....

R-1490-II/2010

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रमेश बहेलिया तनय शिवबालक बहेलिया, निवासी ग्राम ...ड़हवा, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .... गैर निगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर 2379 11-10-10

क्रमांक 5570 ... द्वारा आज दिनांक 11-10-10 को प्राप्त
11-10-10
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश कमिश्नर रीवा संभाग, द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.10, निगरानी प्र.क्र. 43/2005–06 के विरुद्ध।

आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ~~ईस्वी~~।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन के आधार निम्नानुसार है :–

1. यह कि आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने उक्त प्रश्नाधीन आदेश तहसीलदार की पत्रावली मंगाये बिना ही पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय को कैसे मालूम हुआ कि तहसीलदार की कार्यवाहियों में क्या–क्या त्रुटियां है ? साफ है उन्होंने भी कलेक्टर सीधी के आदेश को ही पुनः उदग्रहित कर दिया जो किसी भी परिस्थिति में न्याययुक्त एवं विधि सम्मत नही है। अतः यह निगरानी अन्य बिंदुओं के साथ मुख्यतः इस बिंदु पर प्रस्तुत है कि तीनों मातहत अंदालतों का रिकार्ड तलब किया जाकर व सूक्ष्मतः से विचार कर आवेदक को न्याय प्रदान किया जावे।

2. यह कि आवेदक भूमिहीन है, उसके पास [redacted] किंचितमात्र [redacted] भूमि [redacted] है। अन्य कोई भूमि नही है,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1490–II /10 जिला–सीधी

रमेश बहेरिया/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
16.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	